न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 — 70/2023

अनवान : —

1. रणधीर सिंह पुत्र मीरादेवी पुत्री हरकौरी जाति जाट निवासी बीड़भादरा त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. मीरादेवी पुत्री हरकोरी जाति जाट निवासी बीड़भादरा तहसील भादरा।
2. कमलेश पुत्री मीरादेवी जाति जाट निवासी बीड़भादरा त0 भादरा।
3. शैलेन्द्र सिंह पुत्र मीरादेवी जाति जाट निवासी बीड़भादरा त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री राजेश बैनीवाल वादी
श्री अर्जून बैनीवाल प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः 13/11/24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही 3 डीपीएन के खाता सं0 59/52 के मु0न0 41 के किला न0 1/1, 1/2, 2 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13 की कुल 3.1630है0 वाद भूमि प्रतिवादीया सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 3 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 4 की ओर से जवाब पेश किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी रणधीर द्वारा मुख्य परीक्षा प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया व प्रस्तुत दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही 3 डीपीएन के खाता सं0 59/52 के मु0न0 41 के किला न0 1/1, 1/2, 2 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13 की कुल 3.1630है0 वाद भूमि प्रतिवादीया सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें प्रतिवादीया सं0 1 के साथ साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 भी जन्म से हक हिस्सा निहित है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.27 12:38:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही 3 डीपीएन के खाता सं0 59/52 के मु0न0 41 के किला न0 1/1, 1/2, 2 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13 की कुल 3.1630है0 वाद भूमि प्रतिवादीया सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया सं0 1 के वादी व प्रतिवादी सं0 2 एवं 3 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही 3 डीपीएन के खाता सं0 59/52 के मु0न0 41 के किला न0 1/1, 1/2, 2 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13 की कुल 3.1630है0 वाद भूमि प्रतिवादीया सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादीया सं0 1 मीरादेवी का नाम कलमजन किया जाकर वादी रणधीर सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/11/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(कल्पित शिवरान) R.A.S
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला कलक्टर (राजस्व))
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.27 12:38:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पर्चा डीक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 – 70/2024

अनवान : –

1. रणधीर सिंह पुत्र मीरादेवी पुत्री हरकौरी जाति जाट निवासी बीडभादरा त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. मीरादेवी पुत्री हरकोरी जाति जाट निवासी बीडभादरा तहसील भादरा।
2. कमलेश पुत्री मीरादेवी जाति जाट निवासी बीडभादरा त0 भादरा।
3. शैलेन्द्र सिंह पुत्र मीरादेवी जाति जाट निवासी बीडभादरा त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जुन बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही 3 डीपीएन के खाता सं0 59/52 के मु0न0 41 के किला न0 1/1, 1/2, 2 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13 की कुल 3.1630है0 वाद भूमि प्रतिवादीया सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादीया सं0 1 मीरादेवी का नाम कलमजन किया जाकर वादी रणधीर सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता [illegible] ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शूल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन [illegible] के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरु[illegible] किया जावे। पर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.27 12:38:54 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़